राजस्व वाद सं. 088/2022 अनवान जसवीर कौर बनाम तहसीलदार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारीः—श्रीमती अमिता बिश्नोई जोशी आरएएस
मुकदमा संख्याः— 088/2022

1. जसवीर कौर पत्नी मन्दर सिंह जाति जटसिख साकिन सिंहपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—— प्रार्थिया

—:बनामः—

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—— अप्रार्थी

—:प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट बाबत दुरूस्तीः—

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री जगजीत सिंह रमाणा अधिवक्ता ——— प्रार्थिया
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा ——— अप्रार्थी

—:: निर्णय :—

दिनांकः—

प्रार्थिया ने अप्रार्थी के विरूद्व यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिया के नाम से कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 6 बीएलडब्ल्यु के खाता सं. 70/57 के प.नं. 38/239 (59) किला नं. 16/1/0.228, 16/2/0.025, 17 ता 19, 21, 22/2/0.038 की 1.303 हैक्ट. नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता खातेदारी दर्ज राजस्व अभिलेख है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी सम्वत् 2074—2077 संलग्न प्रार्थना—पत्र है।

प्रार्थना—पत्र की दफा 1 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व अभिलेख में प्रार्थिया के पति का नाम सुखमेन्द्र सिंह दर्ज है जो कि गलत है जबकि प्रार्थिया के पति का सही व वास्तविक नाम मन्दर सिंह है जो कि प्रार्थिया व प्रार्थिया के पति के परिवार राशनकार्ड, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, पहचान पत्र, प्रार्थिया के पुत्र धर्मजीत सिंह के नाम दर्ज कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड चक 7 बीएलडब्ल्यु के खाता सं. 46/81 में भी मन्दर सिंह दर्ज है। जिनकी चित्रप्रतियां संलग्न प्रार्थना—पत्र है।

प्रार्थना—पत्र की दफा 1 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व अभिलेख में प्रार्थिया के पति का नाम सुखमेन्द्र सिंह गलत दर्ज है जिससे प्रार्थिया के अधिकारों पर विपरीत असर पड़ता है तथा कृषि भूमि की सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है। इसलिये प्रार्थिया प्रार्थना—पत्र की दफा 1 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अपने पति का नाम सुखमेन्द्र सिंह के स्थान पर मन्दर सिंह दुरूस्त करवाने की हक़दार है।

अप्रार्थी जो कि भू—धारक है तथा उक्त रिकॉर्ड की दुरूस्ती अप्रार्थी द्वारा ही की जानी है इस कारण पक्षकार बनाया गया है।

प्रार्थना—पत्र श्रीमान् न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है जो उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.05.08 12:30:27 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना—पत्र मय दस्तावेजात पेश किये कि तहसील पीलीबंगा के चक 6 बीएलडब्ल्यु के खाता सं. 70/57 के प.नं. 38/239 (59) किला नं. 16/1/0.228, 16/2/0.025, 17 ता 19, 21, 22/2/0.038 की 1.303 हैक्ट. नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता खातेदारी के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थिया के पति का नाम सुखमेन्द्र सिंह के स्थान पर मन्दर सिंह दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा के पत्रांक रीडर/2023/23 दिनांक 21.09.2023 को तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट प्रार्थिया जसवीर कौर पत्नी

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

मंदर सिंह जाति जटसिख साकिन सिंहपुरा की है। सुखमेन्द्र सिंह व मन्दर सिंह दोनों नाम प्रार्थिया के पति के ही है। सुखमेन्द्र सिंह व मन्दर सिंह एक ही व्यक्ति के दो नाम है। प्रार्थिया के पति का सही नाम मन्दर सिंह है। प्रार्थिया के पति का नाम सुखमेन्द्र सिंह के स्थान पर मन्दर सिंह किया जाना उचित है। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

बहस में प्रार्थिया के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थिया के पति का नाम आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, बैंक पासबुक व प्रार्थिया के पुत्र धर्मजीत सिंह के नाम चक 7 एलजीडब्ल्यु के खाता सं. 46/81 में दर्ज कृषि भूमि की जमाबंदी में भी मन्दर सिंह दर्ज है। तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा से प्राप्त रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेजों साक्ष्यों के आधार प्रार्थिया के पति का नाम मन्दर सिंह राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन किया जाना उचित है।

–:: आदेश ::–

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात, साक्ष्यों, सबूतों एवं तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. स्वीकार किया जाकर निर्णय किया जाता है कि तहसील पीलीबंगा के चक 6 बीएलडब्ल्यु के खाता सं. 70/57 के प.नं. 38/239 (59) किला नं. 16/1/0.228, 16/2/0.025, 17 ता 19, 21, 22/2/0.038 की 1.303 हैक्ट. नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता खातेदारी दर्ज राजस्व अभिलेख में प्रार्थिया के पति का नाम सुखमेन्द्र सिंह के स्थान पर मन्दर सिंह दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। उक्त राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी में बैंक रहन यथावत रहेगा।

तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश आज दिनांक 30/04/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.05.08 12:00:27 IST
Reason: SelfAttested